उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
संख्या-105/2015/8283/62-2-2015-2/4(29)/2015
लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्टता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-2608/2011, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम् राजेश कुमार व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने हेतु कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.2015 के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्राविधान के तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए आरक्षित श्रेणि के लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता, श्री कपिल देव जो दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत होकर कार्यरत हैं, का मूल वेतन अनारक्षित श्रेणी के आसन्न वरिष्ठ कार्मिक, श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, सहायक अभियंता को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर निर्धारित किये जाने तथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा इसके ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उसी सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक श्री कपिल देव के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है।

(2) श्री कपिल देव को ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, सहायक अभियंता उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियां उनके बराबर या उनसे अधिक न हो जाएं।

(3) श्री कपिल देव को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे श्री कपिल देव से ज्येष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-105/2015/8282(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।